

**ARBIT****The Girls' Back Home!!**

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिणौनसिटी • चूरू

# राष्ट्रदूत

Rashtradoot

Metro

Elon Musk, the billionaire founder of SpaceX, claimed, without evidence, that the Biden administration had 'abandoned' the astronauts in space. President Donald Trump echoed this

**Gen Z Slang**

It's time for a refresher course in Gen Z vernacular

## ग्रीनलैण्ड को अमेरिका का 51 वां प्रान्त बनाने की ट्रम्प की इच्छा से काफी विचलित हैं, वहां के नागरिक

### 85 प्रतिशत ग्रीनलैण्ड निवासी, ट्रम्प की इस कल्पना के पूर्णतया खिलाफ हैं

—अंजन रंथ—

—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूग—  
नई फिल्म, 24 मार्च डॉनल्ड ट्रम्प ने खनिजों से भरपूर ग्रीनलैण्ड को खानाने की बात कही थी, और धमकी दी थी कि यदि ऐसा नहीं हो पाया तो उनके नेतृत्व में अमेरिका "वैसे भी" ग्रीनलैण्ड को हासिल कर ही ले गा।

अब अमेरिका ने "हाई प्रोफाइल" मेहमान वहां भेजने शुरू कर दिए हैं। द्विप के राजनीतिक अधिकारियों ने इसे "अत्यधिक आक्रामक" कदम बताया है।

यू.एस. नैशनल सिक्यूरिटी एडवाइजर माइक वॉल्ट्ज के ग्रीनलैण्ड जाने की पूरी तैयारी है। इसी के साथ, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट की पत्नी ऊषा वैस भी अपने पुत्र के साथ "सांस्कृतिक मिशन" पर द्विप की यात्रा पर जाएंगी। वाटर हार्ड प्रक्रिया के अनुसार, ऊषा वैस द्विप के विभिन्न सांस्कृतिक स्थलों का दौरा करेंगी तथा उसके बाद वार्षिक "डॉग स्लैड रेस" भी देखेंगी।

संस्कृति में अमेरिका की इस अत्यधिक आप स्तर पर 85 प्रतिशत ग्रीनलैण्ड की

रुचि को बहुत सहजता से नहीं ले रहे हैं। वासी, अमेरिका का हिस्सा बनने की

- जैसा की विदित ही है, 1953 के बाद ग्रीनलैण्ड, स्वायत्त शासित हिस्सा बना रहा डैनमार्क का।
- पर हाल ही में हुए चुनाव में, ग्रीनलैण्ड ने एक नये प्रधानमंत्री को जिता कर भेजा। चुनाव इस बात का भी प्रतीक था कि ग्रीनलैण्डवासी एक स्वतंत्र व सर्वभौम राष्ट्र बनाना चाहते हैं।
- अमेरिका के प्रवक्ता के अनुसार, ग्रीनलैण्ड का अधिग्रहण करने के बाद, अमेरिका अच्छी हुक्मत देगा, तथा ग्रीनलैण्ड की समृद्ध खनिज सम्पदा का भी अन्य देशों की ललचारी आँखों से सुरक्षित रखेगा।
- अमेरिका का प्रस्ताव अस्वीकार होने के बाद, अमेरिका ने एक के बाद एक वी.वी.आई.पी. अतिथि ग्रीनलैण्ड भेजने शुरू किए हैं।
- इसी सदर्भ में पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, माइक वॉल्ट्ज और उपराष्ट्रपति की पत्नी ऊषा वैस को ग्रीनलैण्ड भेजा गया। आक्रामक कल्चरल पर्फर्मन्स को भी ग्रीनलैण्ड वासी सन्देह की दृष्टि से देख रहे हैं।

किसी भी संभावना के विरुद्ध है।

द्विप के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के इस कदम को "अत्यधिक आक्रामक" बताया है। नव-निवाचित प्रधानमंत्री ने कहा है कि अमेरिका का यह कदम दर्शाता है कि उसके मन में द्विप के लिए "आदर का अधार" है।

ये राजनीतिक यात्रा अचानक ही ऐसे समय पर शुरू हुई है, जब द्विप राजनीतिक पतायन के दौरे से गुजर रहा है। सन 1953 तक, ग्रीनलैण्ड पर डेनमार्क का शासन था और उसके बाद से हाथ द्विप डैनमार्क का स्वायत्त हिस्सा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्वीर्ती काग्रेस सरकार में भी 123 कानून निरसन किए गए थे। इनमें 100 अमैडमेन्ट थे। मंत्री पटेल ने कहा कि वर्तमान में 45 कानूनों के निरसन की अनुशंसा की रुह है। इनमें 37 कानून मूल कानून में ही समाहित हो गए हैं। पटेल ने कहा कि लीगल सिस्टम के जरिए जनता को फायदा पहुंचाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। समय-समय पर सरकार की ओर से कानून की समीक्षा की जाती है।

द्विप में ऐसे दुर्लभ खनिज तत्वों का भंडार है और इसलिए कई देशों की इस परन्तु रुद्धि भी है। ये दुर्लभ खनिज रक्षा उद्योगों के लिए बहुत सहजता से नहीं ले रहे हैं। वासी, अमेरिका का हिस्सा बनने की

### 45 पुराने कानून खत्म

जयपुर, 24 मार्च। राजस्थान विधानसभा के सत्र के अधिराजित दिन प्रदेश में 45 गैर-जरूरी और उपरोक्त चुक्के कानून खत्म कर दिये गये। विधानसभा में बहस के बाद राजस्थान विधायिका निरसन विधेयक पारित कर दिया गया है। इस बिल में 45 कानून खत्म करने का प्रावधान है। इनमें 37 कानून तो पंचांग राज से जुड़े हैं। बीकानेर स्टेट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अमैडमेन्ट एक्ट, बीकानेर म्यूनिसिपल अमैडमेन्ट एक्ट 1952 जैसे पुराने कानून समाप्त हो गए। बिल पर हुए चर्चा का जवाब देने हुए संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि

**राजस्थान**  
विधानसभा में बजट सत्र के अंतिम दिन 45 गैर जरूरी तथा पुराने पड़ चुके कानून रद्द करने का बिल पारित कर दिया गया।

समय-समय पर अप्रचलित और अनुपयोगी कानून को हटाया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्वीर्ती काग्रेस सरकार में भी 123 कानून निरसन किए गए थे। इनमें 100 अमैडमेन्ट थे। मंत्री पटेल ने कहा कि वर्तमान में 45 कानूनों के निरसन की अनुशंसा की रुह है। इनमें 37 कानून मूल कानून में ही समाहित हो गए हैं। पटेल ने कहा कि लीगल सिस्टम के जरिए जनता को फायदा पहुंचाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। समय-समय पर सरकार की ओर से कानून की समीक्षा की जाती है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## अब सांसदों का वेतन एक लाख रुपये प्रतिमाह से बढ़कर सवा लाख रुपये प्रतिमाह हुआ

### कर्नाटक की कांग्रेस सरकार भी पीछे नहीं रही, मंत्री व विधायिकों को वेतन वृद्धि देने के मसले पर

-डॉ. सतीश मिश्रा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूग-

नई दिल्ली, 24 मार्च। खुद को फायदा पहुँचाने की कोशिश के तहत, आज मोदी सरकार ने सरकारी खजाने के द्वावाजे खोलते हुए, वर्तमान सांसदों के वेतन में 24 प्रतिशत बढ़ायी कर दी। सरकार ने वर्तमान तथा पूर्व सांसदों के वेतन, पेन्शन तथा अतिरिक्त (एडिशनल) पेन्शन के संशोधन की ओर चाला गया।

संसदीय कार्य मंत्री मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार, वर्तमान सांसदों के दैनिक भरोसे पर तथा 5 साल से अधिक समय तक सांसद रह चुके नेताओं की पेन्शन तथा अतिरिक्त पेन्शन भी बढ़ाई गई है।

जहां नागरिक अत्यावश्यक वस्तुओं की ओर्ज़ी कीमतों की मार झेल रहे हैं, वहां मोदी सरकार ने सांसदों के वेतन बढ़ाने को प्राथमिकता दी दी। इनमें 1,00,000 रुपए से बढ़ाकर 1,24,000 रुपए कर दिया गया है। दैनिक भरोसे 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया गया है। पूर्व सांसदों की पेन्शन 25,000 रुपए से बढ़ाकर 31,000 रुपए पर त्रिमाह कर दी गई है और 5 वर्ष से लाख रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए से 1.5 लाख रुपए तथा मंत्रियों को वेतन 108 वाली अतिरिक्त पेन्शन 2,000 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है।

सांसदों का वेतन "सैलरी, अलाउडसैज एंड पेन्शन" 2,500 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है। कर्नाटक में कांग्रेस की राज्य सरकार ने भी मुख्यमंत्री, मंत्रियों तथा विधायिकों के वेतन में शत-प्रतिशत वृद्धि की मजबूरी दी थी।

"कर्नाटक मिनिस्टर्स सैलरीज एंड अलाउडसैज (अमैडमेन्ट) बिल" के दूसरे चरण में दी गई। इससे चरण दोजी संसदीय कार्य मंत्री विधेयक के वेतन 60,000 रुपए मुख्यमंत्री, मंत्रियों तथा विधायिकों के वेतन में शत-प्रतिशत वृद्धि की मजबूरी दी थी।

कर्नाटक में कांग्रेस की राज्य सरकार ने भी भी मुख्यमंत्री, मंत्रियों तथा विधायिकों को वेतन वृद्धि देने के लिए संकेत नहीं

मुख्यमंत्री का वेतन 78 हजार रु. प्रतिमाह से बढ़कर 1.5 लाख रु. हो गया। तथा मंत्रियों का वेतन भी साठ हजार रु. से बढ़कर सवा लाख रुपये प्रतिमाह हो गया।

कर्नाटक में एक साधारण नागरिक के वेतन की तुलना में एक पूर्व विधायिक को दोगुने से भी कुछ ज्यादा वेतन मिलेगा और वर्तमान विधायिक को आम आदमी से नौ गुना ज्यादा वेतन मिलेगा।

गया है, जो इनकम टैक्स एक्ट, 1961 किया है।

ये वेतन वृद्धियाँ बजट सत्र 2025 इन्डेपेंस एक्ट पर आधारित है।

के दूसरे चरण में दी गई। इससे चरण दोजी संसदीय कार्य मंत्री विधेयक के वेतन भरोसे 1,00,000 रुपए से बढ़ाकर 1,24,000 रुपए कर दिया गया है।

विधायिका के वेतन 1,00,000 रुपए से बढ़ाकर 1,24,000 रुपए कर दिया गया है।

विधायिका के वेतन 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर